

उपस्थिति 1-सुबोध कुमार , सदस्य तकनीकी 2-शशि भूषण मैठाणी , सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -138 / 2025-26

श्री कैलाश सिंह
ग्राम-कजीना पाटी
जिला- चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय


1- शिकायतकर्ता श्री कैलाश सिंह ग्राम -कजीना पाटी जिला-चम्पावत ने मंच के समक्ष विद्युत बिल आरडीएफ में आने सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मॉगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्राक 216 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्राक 105 / वि०वि०ख०च० दिनांक 28.03.2026 द्वारा अवगत कराया कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण विपक्षी विभाग द्वारा कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।


आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-138 / 2025-26) में विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता के आर डी एफ विद्युत बिल का संशोधन करने पत्र प्रस्तुत किया है । विपक्षी विभाग के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत निराकरण कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।



शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता



सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी
2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -139 / 2025-26

श्री इन्द्र सिंह
पुत्र श्री रतन सिंह
ग्राम -सेवानी मूलाकोट
जिला चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री इन्द्र सिंह ने मंच के समक्ष आरडीएफ में विद्युत बिल सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय माँगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्रांक 216 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 105 / वि०वि०उ०लो० दिनांक 28.03.2026 द्वारा अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के आर०डी०एफ विद्युत बिल को सही कर दिया है । विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किया जाता है ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-139 / 2025-26) में विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण विपक्षी विभाग द्वारा कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

31.03.2026

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

- 1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी
- 2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -140/2025-26

श्री मदन सिंह
पुत्र श्री दीवान सिंह
पता-पटनगॉव पो०-मूलाकोट
जिला - चम्पावत

वादी

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय


1- शिकायतकर्ता श्री मदन सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह ग्राम -पटन गॉव पो०-मूलाकोट जिला -चम्पावत ने मंच के समक्ष आर०डी०एफ में विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मॉगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्राक 216/ उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।


2- विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्राक 105 /वि०वि०उ०लो० दिनांक 28.03.2026 द्वारा अवगत कराया कि शिकायतकर्ता के आर०डी०एफ विद्युत बिल का सुधार कर दिया है । विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-140/2025-26) में विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।
अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफतर हो ।


शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता


31.03.2026
सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी
2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -141/2025-26

श्री अमर सिंह
पुत्र श्री हिम्मत सिंह
तिमला देवीधुरा
जिला- चम्पावत

बनाम्

वादी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

विपक्षी


1- शिकायतकर्ता श्री अमर सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह तिमला देवीधुरा ने विद्युत बिल आरडीएफ में आने सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय माँगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्रांक 216/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 105 /वि०वि०ख०चम्पावत दिनांक 28.03.2026 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता का विद्युत मापक बदलने सम्बन्धी प्रक्रिया अवर अभियन्ता विद्युत मापक के कार्यालय में लंबित है । जिसकी पंजीकरण संख्या -21602260701 है । उक्त के क्रम में विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत निराकरण एक सप्ताह के भीतर कर मंच को अवगत कराएं ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-141/2025-26) में विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है शिकायतकर्ता /उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर मंच को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराए ।

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।


31.03.2026

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता



सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार , सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी , सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -146/2025-26

वादी

श्री माधो सिंह
ग्राम- छन्दा रेगडू
जिला-चम्पावत ।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री माधो सिंह ग्राम-छन्दा रेगडू जिला-चम्पावत ने मंच के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय माँगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्रांक 216/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी विभाग प्रस्तुत कंजूम्यर लेजर के अवलोकन से स्पष्ट होता कि विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-159/2025-26) में विपक्षी विभाग ने शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर उक्त वाद को निस्तारित किया जाता है ।

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

SK Agari
सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -148 / 2025-26

श्री शिव दत्त जोशी

पता- खटीमा फूड ,

ग्राम -पम्दा पो०ओ०- बाराकोट

जिला -चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिकासी अभियंता

विद्युत वितरण खण्ड

चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय


1- शिकायतकर्ता श्री शिव दत्त जोशी ने विद्युत संयोजन संख्या - CH22470018308 में नाम परिवर्तन सम्बन्धी शिकायत मंच के समक्ष प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्रांक 216 / उ०शि०नि०मं० / पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 105 / वि०वि०ख०च० दिनांक 28.03.2026 द्वारा अवगत कराया कि विद्युत संयोजन संख्या - CH22470018308 में नाम परिवर्तन करने के हेतु आवश्यक दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय लोहाघाट में जमा करने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी । उक्त के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-148 / 2025-26) में शिकायतकर्ता द्वारा नाम परिवर्तन के आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा करने के उपरान्त विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता / शिकायतकर्ता द्वारा नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही ससमय कर मंच को अवगत कराएंगे ।

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।


31.03.2026

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता



सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति 1-सुबोध कुमार , सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी , सदस्य उपभोक्ता

परिवाद -159/2025-26

श्री राजू कुमार
ग्राम -बाराकोट
जिला-चम्पावत ।

वादी

वनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री राजू कुमार ग्राम -बाराकोट जिला-चम्पावत ने मंच के समक्ष विद्युत बिल से सम्बन्धी शिकायत प्रस्तुत की । शिकायत को वाद के रूप में दर्ज कर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.12.2025 तक का समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई दिनांक 18.12.2025 को उपखण्ड कार्यालय टनकपुर नियत की गयी । विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान सर्वर डाउन का पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया । विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय माँगा जिसे मंच द्वारा स्वीकार कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा 16.01.2026 तक मंच के समक्ष कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय पत्रांक 216/ उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 17.01.2026 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया ।

2- विपक्षी विभाग प्रस्तुत कंजूम्यर लेजर के अवलोकन से स्पष्ट होता कि विपक्षी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है व शिकायतकर्ता द्वारा भी सन्तुष्टि जाहिर की है । विपक्षी विभाग के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-159/2025-26) में विपक्षी विभाग ने शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के आधार पर उक्त वाद को निस्तारित किया जाता है ।

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे । इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

SK Tyagi
सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी

Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Sub-Station Campus, Bhadelwara
Pithoragarh - 262501 Ph. No. 05964-297743
Email - cgrfpithoragarh@gmail.com



उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोग शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
132 के०वी० उपसंस्थान परिसर भदेलवाड़ा
पिथौरागढ़ - 262501 फोन० 05964-297743
ई-मेल - cgrfpithoragarh@gmail.com

उपस्थिति 1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक 11.03.2026

परिवाद संख्या - 162/2025-26

वादी

श्री दिवान सिंह मेहता
ग्राम - भदेलवाड़ा
जिला - पिथौरागढ़।

बनाम्

विपक्षी

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़।

शिकायतकर्ता श्री दिवान सिंह मेहता ने मंच के समक्ष उपस्थित होकर शिकायती पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनका विद्युत बिल (संयोजन संख्या PT11105081892) उपभोग से अधिक आ रहा है। साथ ही उन्होंने बिल को सही करने का निवेदन किया है। उक्त पर विपक्षी विभाग को कार्यालय पत्रांक 212/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 05.01.2025 के माध्यम से प्रकरण पर अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों सहित रखने हेतु कहा गया।

प्रकरण पर विपक्षी (Licency) ने मंच के समक्ष कार्यालय पत्रांक 2613 दिनांक 09.01.2026 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादी द्वारा शर्दियों के मौसम में माह 11/2025 एवं 12/2025 में विद्युत का उपभोग अधिक किया गया है, जिससे उनका बिल अधिक आया है। वर्तमान में वादी द्वारा अपना बिल रू० 2860 जमा कर दिया है। व उनकी Maximum Demand क्रमशः 3.784 व 4.843 दर्शित हो रही है।

उक्त पर शिकायतकर्ता ने चैक मापक हेतु निर्धारित शुल्क विभाग में जमा कर मापक की जांच हेतु आवेदन किया। जिसकी विभाग द्वारा जांच कर मंच को अपने कार्यालय पत्रांक 3081 दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 13.12.2026 को वादी के परिसर में स्थापित मापक की जांच हेतु चैक मापक स्थापित किया गया दिनांक 09.03.2026 को जाँचोपरान्त उनका मापक सही कार्य करते पाया गया। विपक्षी ने चैक मापक स्लिप की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की।

उक्त पर वादी ने भी अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से संतुष्टि जाहिर की उक्त आधार पर प्रकरण को निस्तारण किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
12.03.2026

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी